

## Order Sheet

CNR NUMBER 2023/663

Court of कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फस्ट ट्रेक), जोधपुर

Kind of the Case U/S - 53, 89, 133 R.T.A. 1955

Number of Case P/396/ Year 2022

अब्दुल रसीद Versus सुरते खा. व. जैन

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
11/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप/ वकील वादी द्वारा आज दिनांक को भी गत आदेशिका को पालना नहीं की गई। पूर्व पेशी पर कोश शशि पर अंतिम अवसर दिया गया था। नावजुद प्रति. स. का का. मु. प्रा. पत्र पेश करने में असफल रहे। न्यायक्षेत्र में अंतिम अवसर और दिया जाता है। आगामी पेशी पर पालना नहीं होने पर उचित आदेश फरमा दिया जायेगा। पत्रावली आज दिनांक 24/09/25 को वास्तु का. मु. प्रा. पत्र हेतु पेश हो।</p>	
24/09/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप/ वकील वादी द्वारा प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC प्रस्तुत किया गया शा. मि. हो। उक्त प्रा. पत्र में वादी अधिकता द्वारा यह जाहिर किया गया कि "6 वादी लम्बे समय से संपर्क में नहीं है। वादी से संपर्क होते ही वादी अवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित हो जायेगा अथवा प्रकरण में माह का समय प्रदान किया जावे।"</p> <p>वादी अधिकता द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC एवं</p>	<p>सहायक कलेक्टर (फस्ट ट्रेक) जोधपुर</p>

# Order Sheet (Subsequent)

2023/662

CNR NUMBER

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(मस्ट ट्रेक), जोधपुर

Number of Case

P/396 / Year 2023

अब्दुल रसीद


Versus

सुखदेवां व अन्य

U/S- 53, 68, 188 R.T.A-1988

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of contents of the Order
	<p>आदेशिका का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा आदेशिका दिनांक 20/02/25 से प्रति ल. के का. मु. प्रा. पत्र पेश करने हेतु लगातार समय चाहा गया परन्तु यह किसी भी पेशी पर जातिर नही किया गया कि वादी इनके संपर्क में नहीं है। साथ ही प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC सशपथ प्रस्तुत नही किया गया है जिससे वादी अखिर द्वारा उक्त प्रा. पत्र में अंकित कथन विश्वास योग्य नहीं है। आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वादी को का. मु. प्रा. पत्र पेश करने हेतु पूर्व में उनके अवसर कॉस्ट शर्त पर भी दिखे गये नावजूद का. मु. प्रा. पत्र पेश न कर न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई। अतः वादी का वाद अदम-पालना /अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्राक्री फिलतल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दायित्व दफतर हो।</p>	



  
 सहायक कलक्टर  
 (मस्ट ट्रेक) जोधपुर